कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 671 / 12—1 दिनांक 19 / 08 / 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर, मु0—कीर्तिनगर।

विषय :— जनपद—टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—70/2017 के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर के ग्रमा धारी से बाग्यों तक मोटरमार्ग के निर्माण हेतु 0.991 है0 वन भूमि का गैर वानकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/49541/2020

सन्दर्भ :— भारत सरकार का पत्रांक—08बी/यू0सी0पी0/06/78/2021/एफ0सी0/436 दिनांक 29—07—2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा विषयक ग्राम—धारी से बाग्यों तक मोटरमार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी की गयी है, उल्लेखित शर्तो के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1- **शर्त संख्या—01 के** अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2- **शर्त संख्या—02 के** अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।

3- **शर्त संख्या—03 (क)** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1.982 हे0 में 1982 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रख—रखाव हेतु मु0 07,35,128.00 धनराशि जमा करनी होगी। जहॉ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या—1459/3—5—2(P.O.) दिनांक 01—07—2021 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष 2020—21 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु धनराशि का विवरण —

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि —	0.991 X 2 =1.982 हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0—	3,70,902.00 प्रति हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि—	1.982 X 3,70,902.00=**07,35,127.76**

शर्त संख्या—03 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरकरण द्वारा पौधरोपण योजना के साथ उक्त क्षेत्र का नाम एवं कोर्डिनेटस् अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र की प्रति उपलब्ध कराना होगा।

4- **शर्त संख्या—04** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिरकरण द्वारा यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

336
LAE
E.E
27/8/21

5- शर्त संख्या–05 (क) के अनुपालन में एन0पी0बी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 0.991 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 08,37,395.00 धनराशि धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

ईको–क्लास श्रेणी–	V
हरियाली का घनत्व–	0.991 VDF
एन0पी0वी की दर प्रति हे0–	मु0 8,45,000.00 (आठ लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	0.991 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–	0.991 हे0 X 8,45,000.00 = 08,37,395.00

शर्त संख्या– 05 (ख). के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

6- शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के **अनुसार 81 वृक्ष एवं 34 Saplings** से अधिक वृक्षों का पातन नही किया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7- शर्त संख्या–07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थल में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची इस कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी तथा इस आशय का सपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मक डम्पिंग क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।

8- शर्त संख्या–08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षायरोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से ही मान्य होगी।

9- शर्त संख्या–09 के अनुपालन में गाईडर्लान्स में दिये गये दिशानिर्देशो के पैरा–11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिरकण विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सराकर इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनाक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10- शर्त संख्या–10 के अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

11- शर्त संख्या–11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आई0आर0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधो की संख्या बढायी जायेगी।

12- शर्त संख्या–12 के प्रयोक्ता अभिकरण को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगे।

13- शर्त संख्या–13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

14- शर्त संख्या–14 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15- शर्त संख्या–15 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16- बिन्दु संख्या–16 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

17- बिन्दु संख्या–17 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रॉक्कलन राजि अधिकारी माणिकनाथ राजि से तैयार कर प्रॉक्कलनानुसार धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पक्ष में जमा करना होगा।

18- शर्त संख्या–18 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरक्ति या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

19- शर्त संख्या–19 के अनुपलान में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20- शर्त संख्या–20 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21- बिन्दु संख्या–21 के अनुपालना में यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017/एफ0सी0 दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

22- बिन्दु संख्या–22 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है जो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका भी पालन किया जायेगा।

23- शर्त संख्या–23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नही की जायेगी।

24- शर्त संख्या–24 के अनुपालन में प्रयोक्ता यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

25- बिन्दु संख्या–25 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर भी अपलोड की जानी होगी।

18/2/21

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– / दिनांकित

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी, माणिकनाथ राजि को इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या–03(क) के अनुपालन में प्रस्तावित मोटरमार्ग के आस–पास 1.982 हे0 वन भूमि में 1982 वृक्षों के वृक्षारोपण स्थल का चयन कर (स्थल का नाम) मु0 07,35,128.00 का प्राक्कलन एवं उक्त स्थल की जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस् तथा बिन्दु संख्या–17 के क्रम में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तावक विभाग को उपलब्ध कराते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को उप प्रभागीय वनाधिकारी, के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।